


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

संगीता बंसल बनाम सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर

केस संख्या : 308/2022 ( विविध प्रार्थना पत्र )

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
20.07.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण संगीता बंसल व अन्य द्वारा एक एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 3826/2009 उनवानी संगीता बंसल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान पेश किये जाने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 22.02.2021 से प्रार्थीगण को तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष प्रार्थना पत्र दिये जाने के निर्देश दिये हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को तहसीलदार कोटपूतली ने जिला कलक्टर की अधिकारिता होने का कथन करते हुये मूल ही इस न्यायालय को भिजवाया है। पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर यह पाया गया है कि जिला कलक्टर जयपुर के पत्र क्रमांक आर-6/91/08/12280 दिनांक 14.11.2008 से तहसीलदार कोटपूतली को उक्त विवादित भूमि बाबत 4 बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं। उक्त पत्र पर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा की गई कार्यवाही को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थीगण द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र का तहसीलदार कोटपूतली के स्तर से ही निस्तारण किया जाना है। न्यायालय हाजा के स्तर से किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। फलस्वरूप मूल प्रार्थना पत्र तहसीलदार कोटपूतली को लौटाया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">   <b>जिला कलक्टर</b>  <b>जयपुर</b> </p>	